



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सोकटर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025

Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoe@froko@gmail.com

पत्र सं ८बी / यू.पी. / ०४ / ३० / २०१७ / एफ.सी. । १७९

दिनांक: १३/६/१०

सेवा में,

नोडल अधिकारी, एवं मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण)

वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Online Proposal No: FP/UP/TRANS/22196/2016

विषय : पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन द्वारा 765 कोरोना द्विपक्षीय जबलपुर-उरई विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण में झांसी वन प्रभाग में 0.7839 हेक्टेएर संरक्षित वनभूमि एवं 38 वृक्षों के पातन तथा उरई वन प्रभाग में 0.1474 हेक्टेएर संरक्षित वनभूमि एवं बाघक 49 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 0.9313 हेक्टेएर संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित कुल 87 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक— 4083/11सी-
FP/UP/TRANS/22196/2016, दिनांक— 16.05.018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी का पत्रांक— 2400/11सी-
FP/UP/TRANS/22196/2016, दिनांक— 24.05.2017 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक— 18.12.2017 द्वारा प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी थी। जिसकी अधुरी अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्रांक— 2646/11-सी-FP/UP/TRANS/22196/2016, दिनांक— 14.03.2018 द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में पुनः इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक— 10.04.2018 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन द्वारा 765 कोरोना द्विपक्षीय जबलपुर-उरई विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण में झांसी वन प्रभाग में 0.7839 हेक्टेएर संरक्षित वनभूमि एवं 38 वृक्षों के पातन तथा उरई वन प्रभाग में 0.1474 हेक्टेएर संरक्षित वनभूमि एवं बाघक 49 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 0.9313 हेक्टेएर संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित कुल 87 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैं:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वृक्षों के दस गुने ($87 \times 10 = 220$) अर्थात् 870 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। यह वृक्षारोपण विधिवत् स्वीकृति जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा पारेषण लाईन के नीचे प्रस्तावित वन भूमि में बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 01 वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
4. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

5. पारेषण लाईन का सरेखण इस प्रकार किया जाएगा कि इसमें काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम हो।
6. पारेषण लाईन के लिए राइट आफ वे (right of way) की घौड़ाई 46 मीटर तक सीमित रहेगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समुचित स्थानों पर सर्किट अवरोधक (circuit breakers) लगाए जाएंगे। साथ ही वन्य प्राणियों को विद्युत स्पर्शधात से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउन्ड क्लीयरेंस (ground clearance) रखना सुनिश्चित किया जाएगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायगा।
9. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
10. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।
11. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
14. प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। प्रत्येक पीलर पर कमांक.डी०जी०पी०एस० निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत् स्थीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
15. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
16. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा इस विधिवत् स्थीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

मवदीय,

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरवाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर०ओ०एच०क्य००) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरवाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ
4. प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी एवं जालौन, उ० प्र०।
5. मुख्य प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कार्पॉरेशन आफ इण्डिया लिंग, बाहर दतिया गेट, झांसी, उ० प्र०।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश प्रत्रावली

13.6.18
(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक (के०)